कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर।

(भूमि अध्याप्ति कार्यालय)
गुलमोहर कमर्शियल मार्केट, बीटा-1, ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक /आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/यमुना एक्सप्रेस-वे/गौतमबुद्धनगर दिनांक ....../05/2018

जिला सूचना अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

विषयः— ज़ेवर एयरपोर्ट हेतु ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना की लोक सुनवाई की सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड अन्तर्राष्ट्रीय जेवर एयरपोर्ट, के निर्माण हेतु प्रथम चरण में प्रस्तावित भू–अर्जन से सम्बन्धित भूमि की ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना शासन द्वारा नामित एजेंसी गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर द्वारा तैयार कर प्रस्तुत की गई है। जिस पर लोक सुनवाई की जानी है।

अतः ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना पर लोक सुनवाई की सार्वजनिक सूचना का प्रारूप आपको पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन प्रभावित क्षेत्र (जेवर) में प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों में कराकर समाचार पत्रों की पांच–पांच प्रतियां अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(राकेश चन्द्र शर्मा)
अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)
गौतमबुद्धनगर।

111 2(1) दि० 19-05-18

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :—

1. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से कि सार्वजनिक सूचना को जनपद की वेबसाईट पर जेवर नामक पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
2. उप जिलाधिकारी, जेवर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार जेवर, को इस निर्देश के साथ कि सुनवाई हेतु नियत तिथि एवं स्थान पर उचित व्यवस्था कराने, विडियोग्राफी की व्यवस्था करने आदि एवं सार्वजनिक सूचना की प्रत्येक ग्राम में मुनादी कराने और मुनादी की विडियों रिकार्डिंग भी कराना सुनिश्चित करें।
4. श्री अनवर, कार्यालय चपरासी, भूमि अध्याप्ति इकाई यमुना को इस निर्देश के साथ कि सार्वजनिक सूचना की प्रतियां प्रत्येक ग्राम की नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/जिला कलैक्टर/उपजिलाधिकारी/तहसील जेवर के नोटिस बोर्ड, भूमि अध्याप्ति कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कलेक्ट्रट नजारत नोटिस बोर्ड तथा प्रभावित क्षेत्र में किसी सदृश्य स्थान पर चस्पा कर फोटोग्राफ लेते हुए तामिला रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)
गौतमबुद्धनगर।

C:\Users\user\Desktop\Hemant singh.docx

कार्यालय कलेक्टर (भूमि अध्याप्ति) गौतमबुद्धनगर

(भूमि अध्याप्ति कार्यालय)
गुलमोहर कमर्शियल मार्केट, बीटा-1, ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर।

ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना पर लोक सुनवाई की सार्वजनिक सूचना

जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड अन्तर्राष्ट्रीय जेवर एयरपोर्ट, के निर्माण हेतु प्रथम चरण में प्रस्तावित भू–अर्जन से सम्बन्धित भूमि की ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना शासन द्वारा नामित एजेंसी गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर द्वारा तैयार कर प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेखित किया गया है कि कुल 4281 परिवार प्रस्तावित भूमि अर्जन से प्रभावित होगें, जिनमें से 2377 परिवार विस्थापित होगें। रिपोर्ट में सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना में दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित भूमि के अर्जन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का उल्लेख है।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा–5 एवं नियमावली 2016 के नियम–7 के अर्न्तगत ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना पर लोक सुनवाई किया जाना प्रावधानित है। लोक सुनवाई हेतु तिथि, समय एवं स्थान निम्नवत है–

क0 सं0	ग्राम का नाम/प्रभावित क्षेत्र का नाम	प्रभावित क्षेत्र का अर्जित क्षेत्रफल(है. में)	लोक सुनवाई की तिथि	लोक सुनवाई का समय	स्थान
1.	2	3	4	5	6
1	रामनेर मुकीमपुर शिवारा	6.0100 58.7990	28.05.2018	11.00 प्रातः	प्राथमिक विद्यालय, मुकीमपुर शिवारा
2	रन्हेरा	100.5902	29.05.2018	11.00 प्रातः	आदर्श इण्टर कॉलेज, रन्हेरा
3	पारोही	134.1965	30.05.2018	11.00 प्रातः	प्राथमिक विद्यालय, पारोही
4	किशोरपुर बनवारीवास	150.5380 6.6756	31.05.2018	11.00 प्रातः	प्राथमिक विद्यालय, किशोरपुर
5	रोही	481.5330	01.06.2018	11.00 प्रातः	प्राथमिक विद्यालय, रोही
6	दयानतपुर	389.6480	02.06.2018	11.00 प्रातः	सर्वहितकारी इण्टर कॉलेज, दयानतपुर

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यक्रमानुसार नियत स्थान व समय पर लोक सुनवाई में सहभागिता कर अपने विचार प्रकट करने का कष्ट करें, यह भी सूचित किया जाता है कि ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना का प्रारूप जन सामान्य के निरीक्षण हेतु कलेक्टर (भू0अ0) के कार्यालय, गुलमोहर कमर्शियल मार्केट, बीटा–1, ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर में प्रकाशित है।

कलेक्टर
गौतमबुद्धनगर।

C:\Users\user\Desktop\Hemant singh.docx